वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रेस–विज्ञप्ति

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव श्री मंगला प्रसाद सिंह ने अवगत कराया है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा रामनगर आवासीय योजना में दूर्बल आय वर्ग के भवन समाज के पिछले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए निर्मित किये गये है। निर्मित भवनों के स्थल से बाईपास रोड द्वारा बी0एच0यू0 लंका की दूरी महज 15 मिनट के अन्दर पूरी की जा सकती है। इन भवनों को बेचने का निर्णय प्राधिकरण द्वारा "प्रथम आगत प्रथम स्वागत" प्रणाली के द्वारा विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। इन भवनों को प्राप्त करने के लिए दूर्बल आय वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक आय एक लाख के अन्तर्गत है, वे अपना आवेदन पत्र प्राधिकरण कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकते है। प्राधिकरण के द्वारा प्रत्येक माह के 05 व 20 तारीख को ऐसे आवेदकों को उनके मन चाहे भवन का आवंटन किया जायेगा। इस प्रकार आवेदन करने के मात्र 15 दिनों में भवन आवंटन हो जायेगा। पंजीकरण शुल्क इत्यादि की जानकारी प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग से सम्पर्क कर ज्ञात की जा सकती हैं रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इण्डस्ट्री के मालिक भी इन भवनों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए क्रय कर सकते है। जनता से अपील है कि इस सुविधा का लाभ शीघ्र उठायें। इसी प्रकार वाराणसी विकास प्राधिकरण के अशोक विहार प्रथम चरण आवासीय योजना में 12 विभिन्न साइज के दुकानें उपलब्ध है, जो नीलामी के माध्यम से बेची जानी है। शहर के मध्य जवाहर लाल नेहरू व्यवसायिक केन्द्र इंगलिशियालाइन में कुछ दुकानें भी नीलामी से बेचे जाने के लिए उपलब्ध हैं। प्राधिकरण के शक्ति शिखा व्यवसायिक भवन में वेसमेंट गोदाम इत्यादि के उद्देश्य से 36 दुकाने बल्क सेल में विक्रय के लिए उपलब्ध है। ऐसी जानकारी प्राधिकरण से प्राप्त हुई है।